(6) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(District Insitute of Education and Training-DIET)

भूमिका

शिक्षक का महत्त्वपूर्ण आधार प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण शिक्षा को प्रभावी बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा

Scanned by TapScanner

नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए दो पहलुओं पर विशेष बल दिया गया है—1. चौदह वर्ष की आयु तक के बालक-बालिकाओं का सार्वभौमिक नामांकन एवं सार्वभौमिक ठहराव (Retention) तथा 2. शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार। शिक्षक-प्रशिक्षण एक निरन्तर प्रक्रिया है और इसके सेवापूर्व एवं सेवारत अंग पृथक् नहीं किए जा सकते हैं। अतः प्रत्येक पहलू की क्रियान्विति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय को **'जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)'** का एक अंग स्वीकार कर संस्थान की स्थापना की गई है।

प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1986) के अध्याय 13 में शिक्षक शिक्षा में व्यापक सुधार (समुन्नत) लाने की दृष्टि से ठोस सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। **प्राथमिक स्तर** हेतु अनुमोदित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान **(डी०आई०ई०टी०-डाइट)** राज्य के विभिन्न जनपदों में स्थापित की गई। इसकी स्थापना से निम्न स्तर की प्रशिक्षण संस्थाएँ धीरे-धीरे समाप्त कर दी गयीं। इन संस्थान के प्रधान का सामाजिक स्तर डिग्री कॉलेज अथवा बी०एड० कॉलेज के प्राचार्य (जिला शिक्षा अधिकारी) के समकक्ष होगा। प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों तथा औपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत कार्मिक के लिए पूर्व-सेवा एवं सेवारत पाठ्यक्रमों के आयोजन हेतु जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) स्थापित किए गए हैं। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा में अपेक्षित सुधार लाने की दृष्टि से चुनी हुई माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यों को सम्पादित करने के लिए उन्नत किया जाएगा।

डाइट का संगठन (Organisation of D.I.E.T.)

डी०आई०ई०टी० (डाइट)—'डाइट' का पूरा नाम 'जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान' (District Insitute of Education and Training) है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा क्रियान्वयन के लिए 1988 में जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। इसका सम्बन्ध राज्य स्तर पर एस०आई० ई०आर०टी० तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय से है एवं राष्ट्रीय स्तर पर एन०सी०ई०आर०टी० तथा 'नीपा' से होता है। प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक सेवापूर्व तथा सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से परिचित कराने का कार्य डाइट का ही है। क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तथा शिक्षण-विधि में सुधार या परिवर्तन का कार्य भी डाइट द्वारा किया जाता है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में आठ प्रभाग हैं, जो इस प्रकार हैं—

(1) सेवापूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग (P.S.T.E.)।
(2) सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अन्तःक्रिया, नवाचार समन्वय (I.F.I.C.)।
(3) अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं जिला संदर्भ इकाई प्रभाग (D.R.U.)।
(4) योजना एवं प्रबन्धन प्रभाग (P & M)।
(5) शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग (E.T.)।
(6) कार्यानुभव प्रभाग (W.E.)।
(7) पाठ्यक्रम, शिक्षण-सामग्री विकास एवं मूल्यांकन (C.M.D.E.)।
(8) प्रशासनिक शाखा प्रभाग (Administrative)।

प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक प्रधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य, छह वरिष्ठ व्याख्याता, 13 व्याख्याता (प्राध्यापक), एक पुस्तकालयाध्यक्ष, एक लेखाकार, दो वरिष्ठ लिपिक एवं पाँच कनिष्ठ लिपिक तथा तकनीशियन आदि का स्टाफ निश्चित किया गया। इसका कार्य शिक्षक प्रशिक्षण के अतिरिक्त पूरे जिले के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करना, उसके लिए आवश्यक साधन जुटाना, जिला स्तर पर शैक्षिक आँकड़ों का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालना, पाठ्यक्रम व कार्यानुभव मूल्यांकन करके उनमें

Scanned by TapScanner

आवश्यक सुधार करना आदि है। साथ ही, आधुनिकतम तकनीकी सम्बन्धी समस्त साधन व सुविधाएँ विद्यालयों को उपलब्ध होंगी; जैसे—कम्प्यूटर आधारित अधिगम, वी०सी०आर०, टी०वी० आदि। शिक्षण की विभिन्न विधाओं तथा नवीन व्यूह-रचनाओं (Strategies) का उपयोग करते हुए इन्हें प्रभावी बनाया जायेगा।

डाइट के उद्देश्य (Its Aims)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य-योजना में डाइट के उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित किये गये—

(1) अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों व पर्यवेक्षकों की कार्यारम्भ प्रशिक्षण एवं पुनर्नवन का आयोजन करना।

(2) औपचारिक विद्यालय निकाय के अध्यापकों की सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(3) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं के प्रधानों का प्रशिक्षण एवं अभिनवन तथा सूक्ष्म स्तर योजना की क्रियान्विति करना।

(4) सामुदायिक कार्यकर्त्ता, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्त्ता एवं अन्य विद्यालय से सम्बन्धित व्यक्तियों को अभिनवन देना।

(5) विद्यालय संकुल एवं जिला शिक्षा बोर्ड को शैक्षिक सहयोग देना।

(6) क्रियानुसंधान एवं प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था करना।

(7) प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों हेतु मूल्यांकन केन्द्र स्थापित करना।

(8) सन्दर्भ एवं अधिगम केन्द्र के रूप में प्रसार सेवा कार्यक्रम आयोजित करना।

(9) शिक्षा संस्थाओं, जिला शिक्षा बोर्ड, विद्यालय संगम (संकुल) आदि को शैक्षिक सलाह एवं मार्गनिर्देशन देना।

(10) आदर्श शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक सुधार करना।

(11) शैक्षिक प्रशासन व शैक्षिक सुधारों का विकेन्द्रीकरण करना।

(12) जिला स्तर की शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना।

(13) प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के कार्यक्रम एवं व्यूह-रचना के लिए प्राथमिक स्तर पर अकादमिक तथा सन्दर्भ व्यक्तियों (Resource Persons) को तैयार करना।

(14) प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी रूप से संचालन में जिला शिक्षा प्रशासन का सहयोग करना आदि।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के मुख्य कार्य (Main Functions of D.I.E.T.)

डाइट के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं—

(1) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/औपचारिक शिक्षा प्रणाली शिक्षकों की सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु समय-समय पर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(2) अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों/सुविधादाताओं/प्रेरकों का आधारभूत तथा सतत प्रशिक्षण करना तथा उन्हें सामान्य संसाधन प्रदान करना।

(3) 'जिला शिक्षा बोर्ड' (DBE) तथा संस्थागत योजना (Institutional Planning) एवं प्रबन्ध के प्रति संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण व शैक्षिक सहयोग और सुझाव देना।

(4) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर मूल्यांकन के रूप में कार्य करना।

Scanned by TapScanner

(5) शिक्षकों, अनुदेशकों के लिए एक संसाधन एवं अधिगम केन्द्र के रूप में कार्य करते हुए परामर्श देना।

(6) प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं का अध्ययन व क्रियानुसंधान कार्य करना तथा प्रयोगात्मक कार्य को बढ़ावा देना।

(7) जिले में शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं संगणक (कम्प्यूटर) शिक्षा का प्रावधान करना। जिले में शिक्षा से सम्बन्धित आँकड़ों को एकत्रित करना।

(8) शोध, प्रसार-सेवाओं तथा प्रयोग-प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

(9) जिले के शैक्षिक नवाचारों को प्रोत्साहित करना।

(10) नवीन प्रविधियों की क्षेत्र के शिक्षकों को जानकारी देना।

(11) जिला शिक्षा प्रशासन के सहयोग के लिए अकादमिक एवं सन्दर्भ व्यक्तियों का केन्द्र बनना।

(12) शिक्षण अधिगम-सामग्री का विकास करना।

Scanned by TapScanner